375

समक्ष श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व मंडल ग्वालियर

I/निगरानी/सागर/भू.रा/2018/1656

श्री सुनार समाज समिति, सराफा बाजार सागर द्वारा

मुन्नालाल जड़िया बल्द शिवदयाल जड़िया

निवासी पारस टॉकीज के बाजू में बड़ा बाजार सागर (म.प्र.)

मुन्नालाल जड़िया द्वारा आज दि 9/3/18 को प्रस्तुत cf 27/3/18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. श्रीमति कृष्णाबाई वेवा सीताराम सोनी

निवासी पारस टॉकीज के सामन बड़ा बाजार सागर , तह. व जिला सागर म.प्र. शासन

2. अनावेदक गण

पुनरीक्षण/ अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

प्रकरण सार विचारण न्यायालय तहसीलदार सागर ने अनावेदक क्र. 1 के आवेदन अनुलग्न 'ए.' दिनांक 21/06/2017 में बेनामा दिनांक 15/01/2007 अनुलग्न 'बी.' के आधार पर नामांतरण आवेदन दिया था । दिनांक 28/08/2017 को पुनरीक्षणकर्ता ने आवेदन जबाव अनुलग्न सी. दिनांक 15/09/2017 को पेश किया जिसमें बिलम्ब को छोड़कर आपत्ति ना होना लेख किया है । लिखित बहस समिति की ओर से दिनांक 19/09/2017 को पेश की गई जिसके अनुलग्न प्रति डी. है जो कि तहसीलदार रिकार्ड से गायब है । नकल आवेदन दिनांक 21/09/2017 अनुलग्न प्रति ई. है । आदेश पत्रिका अनुलग्न एफ. है ।

अपीली न्यायालय (अनुविभागीय अधिकारी) सार

अपीलार्थी पुनरीक्षण कर्ता द्वारा तहसीलदार आदेश दिनांक 10/10/2017 से परिवेदित होकर दिनांक 13/11/2017 को अपील क्र. 24 अ/6 वर्ष 17–18 अनु. अधिकारी सागर के समक्ष पेश की थी । अनुलग्न जी. है, जिसमें लिखित बहस 19/09/2017 की प्रति तहसीलदार रिकार्ड में ना मिलने का उल्लेख है । आदेश पत्रिका अनुलग्न एच. है। जिसमें बिना रिकार्ड तलब किए अपील अग्राहय की गई है । उपरोक्त दोनों आदेश विवादित हैं अतः 'न्याय हेतु निम्न आधारों के अलावा अन्य आधारों पर रिवीजन पेश है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निगरानी/सागर/भू0रा0/2018/1656

सुनार समाज समिति विरूद्ध कृष्णाबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-2-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार सागर जिला सागर के प्रकरण कमांक 24/अ-6/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 05-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25-4-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/2/19 सदस्य	